

(TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART IV EXTRA ORDINARY)
DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
1-A, CANNING LANE, K.G. MARG, NEW DELHI

F. No. 61/SC/AD-I/DWCD/08/Vol-III(62)/ 33569-584

Dated:10.03.2014

NOTIFICATION

F. No. 61/SC/AD-I/DWCD/08/Vol-III(62) In exercise of the powers conferred by sub-section 4(1) read with section 66 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000) I, Director, Women & Child Development hereby constitute **Juvenile Justice Board-I** consisting of the following, for exercise the powers and discharging the duties conferred or imposed on such Board, in relation to the children in conflict with law under the said Act for the National Capital Territory of Delhi.

S. No.	Name & Address of Chairperson/Members	Designation
1.	Sh. Vishal Singh , R/o E-139, 4 th Floor, Kamla Nagar, Delhi-07.	Pr. Magistrate
2.	Dr. K.C. Virmani , A-6, Delhi Govt. Officers Flat, Model Town, Delhi-09. M- 9313751404	Social Worker
3.	Ms. Shaila M. Varghese , 21 D, MIG, DDA Flats, Pocket-IV, Mayur Vihar, Phase-III, New Delhi. M – 9873124719	Social Worker

This Board shall function from its designated premises at Juvenile Justice Board-I, Sewa Kutir Complex, Kingsway Camp, Delhi. The tenure of the Member Social Worker shall be for the period from **28.01.2014 to 27.01.2017** i.e. for three years.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi.

Sd/-

(Saumya Gupta)
DIRECTOR
Department of Women & Child Development

Copy forwarded for information to:

1. The Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas Marg, New Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
3. The Secretary to the Minister of Women & Child Development, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
4. The OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
5. The Pr. Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
6. The Pr. Secretary (Health), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
7. The Pr. Secretary, Department of Women & Child Development, GLNS Complex, Delhi Gate, Delhi.
8. The Secretary (Law & Judicial), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The Secretary, Department of Labour, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
10. The Director, Department of Women and Child Development, Govt. of NCT of Delhi, 1-A, Canning Lane, K.G. Marg, New Delhi.
11. The Principal Magistrate, Juvenile Justice Board-I, Sewa Kutir Complex, Kingsway Camp, Delhi.
12. The Principal Magistrate, Juvenile Justice Board-II Observation Home for Boys-I Prayas, Opp. Ambedkar Stadium, Delhi Gate, Delhi.
13. Dr. K.C. Virmani, A-6, Delhi Govt. Officers Flat, Model Town, Delhi-09.
14. Ms. Shaila M. Varghese, 21-D, MIG, DDA Flats, Pocket-IV, Mayur Vihar, Phase-III, New Delhi.
15. The Deputy Secretary (Co-ordination), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
16. The Deptt. of Public Relation, Govt. of Delhi (in duplicate) for the publication in Delhi Gazette Part IV Extra ordinary.

Sd/-
(Saumya Gupta)
DIRECTOR,
Department of Women & Child Development

दिल्ली राजपत्र भाग-चार असाधारण में प्रकाशनार्थ)
महिला एवं बाल विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
1-ए, केनिंग लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली

सं0फा0 61/एससी/एडी-1/डीडब्ल्यूसीडी/08/खंड-III (62)/33569-584 दिनांक:10/03/2014

अधिसूचना

सं0फा0 61/एससी/एडी-1/डीडब्ल्यूसीडी/08/खंड-III (62) किषोर न्याय
(बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम (2000 का 56) की धारा 4 (1) तथा धारा 66 के
अन्तर्गत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कानून का उल्लघन करने वाले किषोरों के संबंध में
निष्पादन करने हेतु किषोर न्याय बोर्ड-1 को निम्नानुसार सदस्यों के साथ गठित करती हूँ।

क्रम संख्या	चेयर परसन/मेम्बर का नाम व पता	पद
1.	श्री विषाल सिंह, ई-139, चौथी मंजिल कमला नगर, दिल्ली-07	प्रधान न्यायाधीष
2.	डा0 के.सी. विरमानी, ए-6, दिल्ली सरकार फ्लैट मॉडल टाउन दिल्ली-09	सोषल वर्कर
3.	श्रीमति पैला एम वर्गिस, 21 डी. एमआईजी, डीडीए फ्लैट, पॉकेट- IV मयूर विहार, फेस- III नई दिल्ली	सोषल वर्कर

ये बोर्ड निर्धारित पते पर जो की किषोर न्याय बोर्ड-1, सेवा कुटीर परिसर, किंग्सवे कैंप, दिल्ली से कार्यरत रहेगा तथा सदस्य सोषल वर्कर का कार्यकाल तीन साल के लिए रहेगा यानी 28/01/2014 से 27/01/2017 तक।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,

Sd/-

(सौम्या गुप्ता)
निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग

सं0फा0 61/एससी/एडी-1/डीडब्ल्यूसीडी/08/खंड-III (62)/33569-584 दिनांक:10/03/2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

1. सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राज निवास मार्ग, नई दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, (मंत्री), समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. प्रधान सचिव, गृह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जीएलएनएस परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली।
8. सचिव, विधि एवं न्याय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, श्रम विभाग, 5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली।
10. निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण, 1-ए केनिंग लेन, नई दिल्ली।
11. मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड-1, सेवा कुटीर परिसर, किंगजवे कैंप, दिल्ली।
12. मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड-2, बाल निरीक्षण गृह, प्रयास अम्बेडकर स्टेडियम के सामने, दिल्ली गेट, दिल्ली।
13. डा0 के.सी. विरमानी, ए-6, दिल्ली सरकार फ्लैट मॉडल टॉउन दिल्ली-09
14. श्रीमति पैला एम वर्गिस, 21 डी. एमआईजी, डीडीए फ्लैट, पॉकेट- IV मयूर विहार, फेस- III नई दिल्ली
15. उप सचिव, समन्वय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
16. जन संपर्क विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ (अनुलिपि में)।

Sd/-

(सौम्या गुप्ता)

निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग

(TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART IV EXTRA ORDINARY)
DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
1-A, CANNING LANE, K.G. MARG, NEW DELHI

F. No. 61/SC/AD-I/DWCD/08/Vol-III(62)/ 33585-600

Dated: 10.03.2014

NOTIFICATION

F. No. 61/SC/AD-I/DWCD/08/Vol-III(62) In exercise of the powers conferred by sub-section 4(1) read with section 66 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000) I, Director, Women & Child Development hereby constitute **Juvenile Justice Board-II** consisting of the following, for exercise the powers and discharging the duties conferred or imposed on such Board, in relation to the children in conflict with law under the said Act for the National Capital Territory of Delhi.

S. No.	Name & Address of Chairperson/Members	Designation
1.	Ms. Shuchi Laler , R/o 105, 1st Floor, Karkardooma Court Complex, Delhi.	Pr. Magistrate
2.	Sh. Vijay Kumar Pandey , R/o E-77, SFS Flats, Astha Kunj Apartment, Sector-18, Rohini, New Delhi.	Social Worker
3.	Ms. Anupma Diwedi C/o Harshmani Tripathi, E-65, IIInd Floor, Amar Colony, Lajpat Nagar-IV, Delhi.	Social Worker

This Board shall function from its designated premises at Juvenile Justice Board-II, Opposite Ambedkar Stadium, Delhi Gate, Delhi. The tenure of the above said Board shall be for a period of **three** years w.e.f. **03.02.2014**.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi.

Sd/-

(Saumya Gupta)
DIRECTOR,
Department of Women & Child Development

F. No. 61/SC/AD-I/DWCD/08/Vol-III(62)/ 33585-600 Dated: 10.03.2014

Copy forwarded for information to:

1. The Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas Marg, New Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
3. The Secretary to the Minister of Women & Child Development, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
4. The OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
5. The Pr. Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
6. The Pr. Secretary (Health), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
7. The Pr. Secretary, Department of Women & Child Development, GLNS Complex, Delhi Gate, Delhi.
8. The Secretary (Law & Judicial), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The Secretary, Department of Labour, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
10. The Director, Department of Women and Child Development, Govt. of NCT of Delhi, 1-A, Canning Lane, K.G. Marg, New Delhi.
11. The Principal Magistrate, Juvenile Justice Board-I, Sewa Kutir Complex, Kingsway Camp, Delhi.
12. The Principal Magistrate, Juvenile Justice Board-II Observation Home for Boys-I Prayas, Opp. Ambedkar Stadium, Delhi Gate, Delhi.
13. Sh. Vijay Kumar Pandey, R/o E-77, SFS Flats, Astha Kunj Apartment, Sector-18, Rohini, New Delhi.
14. Ms. Anupama Diwedi, C/o Harshmani Tripathi, E-65, IInd Floor, Amar Colony, Lajpat Nagar-IV, Delhi.
15. The Deputy Secretary (Co-ordination), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
16. The Deptt. of Public Relation, Govt. of Delhi (in duplicate) for the publication in Delhi Gazette Part IV Extra ordinary.

Sd/-
(Saumya Gupta)
DIRECTOR,
Department of Women & Child Development

दिल्ली राजपत्र भाग-चार असाधारण में प्रकाशनार्थ)
महिला एवं बाल विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
1-ए, केनिंग लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली

सं0फा0 61/एससी/एडी-1/डीडब्ल्यूसीडी/08/खंड-III (62)/33585-600

दिनांक: 10/03/2014

अधिसूचना

सं0फा0 61/एससी/एडी-1/डीडब्ल्यूसीडी/08/खंड-III (62) किषोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम (2000 का 56) की धारा 4 (1) तथा धारा 66 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कानून का उल्लंघन करने वाले किषोरों के संबंध में निष्पादन करने हेतु किषोर न्याय बोर्ड-II को निम्नानुसार सदस्यों के साथ गठित करती हूँ।

क्रम संख्या	चेयर परसन/मेम्बर का नाम व पता	पद
1.	श्रीमति सूची ललेर, 105, पहली मंजिल, कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लैक्स, दिल्ली।	प्रधान न्यायाधीष
2.	श्री विजय कुमार पाण्डे, ई-77, एसएफएस फ्लैट्स आस्था कुंज अपार्टमेंट, सैक्टर-18, रोहिनी नई दिल्ली।	सोषल वरकर
3.	श्रीमति अनुपमा द्विवेदी, C/o श्री हर्षमनी त्रिपाठी, ई-65, द्वितीय मंजिल, अमर कालोनी, लाजपत नगर, दिल्ली।	सोषल वरकर

ये बोर्ड निर्धारित पते पर जो की किषोर न्याय बोर्ड-II, विपरीत अम्बेडकर स्टेडियम, दिल्ली गेट दिल्ली, से कार्यरत रहेगा तथा सदस्य सोषल वरकर का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन साल के लिए जोकि 03.02.2014 से मान्य होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,

Sd/-

(सौम्या गुप्ता)
निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग

सं0फा0 61/एससी/एडी-1/डीडब्ल्यूसीडी/08/खंड-III (62)/33585-600

दिनांक: 10/03/2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

1. सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राज निवास मार्ग, नई दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, (मंत्री), समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. प्रधान सचिव, गृह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जीएलएनएस परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली।
8. सचिव, विधि एवं न्याय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, श्रम विभाग, 5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली।
10. निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण, 1-ए केनिंग लेन, नई दिल्ली।
11. मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड-1, सेवा कुटीर परिसर, किंगजवे कैंप, दिल्ली।
12. मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड-2, बाल निरीक्षण गृह, प्रयास अम्बेडकर स्टेडियम के सामने, दिल्ली गेट, दिल्ली।
13. श्री विजय कुमार पाण्डे, ई-77, एसएफएस फ्लैस आस्था कुंज अपार्टमेंट, सैक्टर-18, रोहिनी नई दिल्ली।
14. श्रीमति अनुपमा द्विवेदी, C/o श्री हर्षमनी त्रिपाठी, ई-65, द्वितीय मंजिल, अमर कालोनी, लाजपत नगर, दिल्ली।
15. उप सचिव, समन्वय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
16. जन संपर्क विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ (अनुलिपि में)।

Sd/-

(सौम्या गुप्ता)

निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग